अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की इक्हत्तरवीं (71वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 22 जून, 2016 को पूर्वाहन 11.45 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 71.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **16** जून **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 जून, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) कट्टिजेनहल्ली एवं वेंकटाला गांव, येलाहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **17** जून, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 जून, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **06** मई, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को 2 माह के अंदर विकासक से व्यय तथा विकास योजना का ब्यौरा प्राप्त करने का भी निदेश दिया।

मद संख्या **71.2 :** सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) अतिपट्टू, नांदियांबक्कम और पुलुडीवक्कम गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 मई, 2017 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 71.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 13 फरवरी, **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एपीपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 फरवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 05 फरवरी, **2015** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मैकसन कलर केम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 5 फरवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 06 जनवरी, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड जो केआईएडीबी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 जनवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(iv) 28 जून, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम मेहरुमखुर्द एवं चावर्धल, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) 07 जून, **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड - एफटीओ **9** जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 71.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 100 करोड़ रुपए की लागत से बायोकॉन एसईजेड में 36150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में स्थित सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड की एसईजेड यूनिटों (13 यूनिट) की अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8082 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में

सामान्य सुविधाओं से युक्त ग्रीन फील्ड कैंपस का निर्माण करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम ननक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मंत्री कॉसमास **2** ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में स्थान के अपने शेयर को बेयर शेल से वार्म शेल में अपग्रेड करने, प्रचालित एवं अनुरक्षित तथा निवेश करने के लिए मैसर्स मंत्री कॉसमास 2 ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की अर्थात (1) अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करना जैसे कि इंटीरियर फिट आउट एवं सर्विस, विद्युतीकरण, फायर फाइटिंग, स्थिर फ्रिक्वेंसी पर 24x7 अबाध विद्युत की आपूर्ति, विश्वसनीय डाटा कनेक्टिविटी के साथ पावर बैकअप, सेंट्रल एयर कंडिशनिंग सिस्टम (एचवीएसी), जो एसईजेड में प्रचालन के लिए आईटी / आईटीईएस कंपनियों द्वारा अपेक्षित हैं, (2) ऐसी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए अपेक्षित धन का निवेश करना और (3) पट्टा पर देने के बाद मंत्री कॉसमास टावर 2 की अवसंरचना सुविधाओं का प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन एवं रख रखाव करना।

(iii) जामिन पल्लावरम गांव, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 11.14.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों का संचानप सहित एसईजेड के विकास प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 187.30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक की भूमि में ग्राहकों को पत्तन सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अवसंरचना सुविधाओं का अग्रेतर विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने तथा एसईजेड में मौजूदा पत्तन एवं कंटेनर फ्रेट स्टेशन में पत्तन सेवाएं प्रदान करने, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड के 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एलपीजी भंडारण एवं रिक्तीकरण तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तें भी लगाईं :

(i) सह विकासक द्वारा कोई प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ii) यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन भी होगा कि सह विकासक इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों तथा भविष्य में निर्मित किए गए किसी दिशानिर्देश का पालन करेगा।

मद संख्या 71.5 : विविध मामले

(i) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स लॉजीकैप्ट इनफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में सह विकासक के रूप में ब्लाक ए (ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 फ्लोर), ब्लाक बी (ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 फ्लोर), ब्लाक सी (ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 फ्लोर) तथा उनके नीचे 3 बेसमेंट सहित 1100466 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र वाले किंग्स केनन एसईजेड बिल्डिंग के रूप में एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 2.751 एकड़ के चिह्नित एसईजेड क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने और / या अग्रेतर अधिकृत प्रचालन के अनुसरण में चिह्नित एसईजेड क्षेत्र के पुनर्विकास की प्रकृति के अग्रेतर विकास एवं उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में सह विकासक के रूप में ब्लाक ए, बी, सी, डी और ई में से प्रत्येक ब्लाक में ग्राउंड फ्लोर प्लस 17 फ्लोर तथा तीन लेवल बेसमेंट, जो सह विकासक के रूप में एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड का हिस्सा है (ब्यौरा फार्म ए1 के अनुबंध 1 और 2 में प्रदान किया गया है) से युक्त 1420198 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र वाले ग्रैंड केनन एसईजेड बिल्डिंग के 3.739 एकड़ के चिह्नित एसईजेड क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने (अर्थात चिह्नित एसईजेड में मौजूदा अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने और / या अग्रेतर अधिकृत प्रचालन के अनुसरण में चिह्नित एसईजेड क्षेत्र के पुनर्विकास की प्रकृति के अग्रेतर विकास एवं उसका प्रचालन एवं अनुरक्षण) के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रैंड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 71.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) **यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2015 के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) आदेश दिनांक **12** फरवरी **2016** जो पत्र दिनांक **26** फरवरी **2016** के माध्यम से सूचित किया गया, के विरुद्ध मैसर्स अलियांज मैनेज्ड ऑपरेशंस एंड सर्विसेज एसईजेड जो एसईईपीजेड एसईजेड है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील का समर्थन करने का निर्णय लिया तथा एसईईपीजेड - एसईजेड के पत्र दिनांक 26 फरवरी 2016 को निरस्त कर दिया।

<u>**पूरक एजेंडा पर निर्णय**</u>

मद संख्या 71.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) होसुर, विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **7** मई, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) सलेम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **07** मई, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) बड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **7** मई, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **7** मई**, 2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, फेज **2,** हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **26** जून**, 2016** के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 **दिसंबर**, 2017 **तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।**

मद संख्या 70.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 अप्रैल **2016** से **23** मार्च **2018** तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई में रिसाइकलिंग यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23 मार्च, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को 5 वर्षों के सही ब्लाक का सत्यापन करने तथा उस अवधि के दौरान यूनिट के एनएफई निष्पादन का सत्यापन करने का निदेश दिया।"

(iii) 17 अप्रैल **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर एएल**-18** और एल**-19,** शेंद्रे फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रे, एमआईडीसी, औरंगाबाद में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) 27 जुलाई **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित मिहान एसईजेड, नागपुर जो बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है, की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 जुलाई, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(v) 28 जून **2016** के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो प्लाट नंबर **17,** एमआईडीसी-एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज-**3,** पुणे में आईटी / आईटीईएस यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 71.9 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ब्लॉक **9,** कक्कानाड गांव, कनायानूर तालुक, जिला एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने 99 साल के लिए पट्टा दिया है और केरल सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया कि पट्टा की अवधि घटाकर 30 साल करने की आवश्यकता है जिसे उन्होंने नोट किया और सूचित किया कि वह राज्य सरकार को इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। अनुमोदन बोर्ड ने अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा आईटी / आईटीईएस उद्योग के विकास के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। आवेदक ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 7.97 एकड़ के क्षेत्रफल में 1558200 वर्गफीट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ दो चरणों में आईटी कैंपस का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जिसमें एसईजेड में स्थापित होने वाली आईटी कंपनियों के लिए 1637 पार्किंग स्लॉट के साथ मल्टी लेवल पार्किंग, पर्याप्त सुविधाएं जैसे कि फूड कोर्ट, टेली कन्फ्रेंस की सुविधा, पेव्ड ड्राइव वे, लैंडस्केप्ड गार्डन, ओपन स्पेस आदि शामिल हैं परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज **2,** हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक के रूप में मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 71.10 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) खराडी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में **8.29** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त विकासक मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया है।

(ii) अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना में **5.67** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को विकासक तथा भूस्वामियों के बीच करार के संदर्भ में कानूनी कब्जे की जांच करने का निदेश दिया तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में **6.07** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को विकासक तथा भूस्वामियों के बीच करार के संदर्भ में कानूनी कब्जे की जांच करने का निदेश दिया तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 71.11 : विविध मामले

(i) कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश एसईजेड फेज **1** प्राइवेट लिमिटेड जो घमरोज गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ट्रिल) तथा मैसर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट (सिंगापुर) **7** प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी की **100** प्रतिशत शेयर होल्डिंग हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स टाटा रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ट्रिल) तथा मैसर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट (सिंगापुर) 7 प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी की 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) सह विकासक का नाम मैसर्स अदिति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स हर्मन कनेक्टेड सर्विसेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड जो आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स अदिति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स हर्मन कनेक्टेड सर्विसेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौतियों के लिए पात्रता एवं कराधेयता की जांच एवं मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) कंपनी के नाम / संरचना तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड जो टिकरी, सेक्टर **48**, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vi) 1 अगस्त **2016** से मैसर्स डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी पत्र हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कीरंथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 1 अगस्त 2016 से मैसर्स डेल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी पत्र हस्तांतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vii) मैसर्स असेंडास इंडिया ट्रस्ट, सिंगापुर को स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स असेंडास इंडिया ट्रस्ट, सिंगापुर को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सह विकासक के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

<u>मद संख्या 71.12 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील</u>

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **14** मई, **2003** के विरुद्ध मैसर्स गुप्ता इनफोटेक जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया कि 25,49,89 रुपए में से 12,18,532 रुपए एफएसईजेड के पास जमा करा दिए गए हैं तथा यूनिट द्वारा 3 माह के अंदर शेष राशि जमा की जाएगी। अनुमोदन बोर्ड ने तीन माह के अंदर शेष राशि जमा करने के लिए मैसर्स गुप्ता इनफोटेक को अनुमति प्रदान की।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में डीजीईपी से विस्तृत परामर्श की आवश्यकता है और इसलिए मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

<u>पूरक एजेंडा 2 पर निर्णय</u>

मद संख्या 71.13 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम कोक्कनहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक में मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंटेलीजेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में संपूर्ण एसईजेड अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने / प्रचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स इंटेलीजेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 71.14 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 19.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

(ii) आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में **2.5906** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

मद संख्या 71.15 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

(i) मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (सर्वे नंबर **83/1,** रायदुर्ग पनमाख्ता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना) के औपचारिक अनुमोदन का निरसन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (सर्वे नंबर 83/1, रायदुर्ग पनमाख्ता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना) द्वारा की गई प्रगति संतोषप्रद नहीं है। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने भी निरस्त करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

<u>पूरक एजेंडा 3 पर निर्णय</u>

मद संख्या 71.16 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) आउटर रिंग रोड, डोड्डानेकुंडी सर्किल, मैरातली पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक में **1.34** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 17 जून, 2016 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 1.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आउटर रिंग रोड, डोड्डानेकुंडी सर्किल, माराहहल्ली पोस्ट, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

****